HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 11188/2019

Dharmendra Kumar S/o. Ghasi Lal

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shailesh Prakash Sharma.
For Respondent(s)	:	Mr. G.S. Gill, AAG with Ms. Shikha Sharma Mr. S.M. Sharma, Mr. Karni Singh Sandhu Mr. Vishwas Fatehpuria for Mr. Manoj Sharma, AAG.

HON'BLE DR. JUSTICE PUSHPENDRA SINGH BHATI
HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR

Order

09/03/2026

Learned counsel for the petitioner has drawn attention of this Court to the order passed in Bail Application No.10913/2024 on 05.09.2024. The order reads as under:-

"प्रार्थी-अभियुकागण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर बारां में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 103/2024 अपराध अन्तर्गत्त धारा 447, 420, 406, 120 बी भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं. श्री चौथ माता भागवत गौशाला लंबे समय से सचालित थी, उक्त भूमि विद्यालय की तथा सिवायचक होने की जानकारी होने पर उपरोक्त गौशाला बंद कर दी गई है। उनका यह भी निवेदन है कि वे किसी भी स्थिति में अब उपरोक्त गौशाला का संचालन नहीं करेंगे तथा भूमि पर भविष्य में अपना

कोई कब्जा नहीं रखेंगे, अंत में प्रार्थी अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलाकन किया।

हस्तगत मामले में दोनों अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने राजकीय विद्यालय व सिवायचक भूमि पर अवैध रूप से गौशाला का संचालन करते हुए वास्तविक गौवंश के बजाय केवल संख्या को बढ़ाकर करीब 17 लाख रूपये से अधिक का अनुदान सरकार से प्राप्त कर लिया।

ऐसे में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा लिए गए तर्को, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तों एवं प्राथी अनिशुका की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचंद, 2. हरिओम पुत्र राधाकिशन की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।"

From the operative portion of the aforesaid order, this Court takes note of the fact that there is statements of the concerned persons that 'Shri Choth Mata Bhagwat Gaushala Samiti' has been closed and the same shall neither be operated from the en-

croached land in question nor any encroachment shall be made in future.

Mr. Gill, learned AAG seeks some time to update his instructions regarding the fact of removal of the Gaushala, which is an illegal encroachment over the *gochar* land as well as school land and also to apprise this Court about the steps taken for removing such encroachments.

Time prayed for is allowed.

List the matter on 06.04.2026.

In case, the encroachment in question is not removed, the District Collector, Baran shall remain present before this Court on the next date of hearing to furnish the necessary explanation in this regard.

(VINIT KUMAR MATHUR),J (DR. PUSHPENDRA SINGH BHATI),J

53- Nitin/Shahenshah/-